**प्रेस नोट,**
**दिनांक 21.09.2024, थाना को0कर्नलगंज**

**थाना को0कर्नलगंज पुलिस एवं SOG की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 01 शातिर बदमाश घायल सहित 02 गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा/कारतूस व चोरी के 20,000/- रू0 नगद बरामद-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के प्रवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में **थाना को0कर्नलगंज पुलिस एवं SOG की संयुक्त टीम** द्वारा मु0अ0सं0-411/2024, धारा 331(8) बीएनएस थाना को0कर्नलगंज से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 02 शातिर चोर 01. बच्चन पुलिस मुठभेड़ में घायल व 02. राजेश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी **के 20,000/- रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल पल्सर, 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद फायर शुदा कारतूस .12 बोर** बरामद किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादी श्री रामू दीक्षित पुत्र श्री दीपनरायन दीक्षित निवासी ग्राम छोटीपुरवा मौजा परसागोण्डरी थाना कर्नलगंज गोण्डा द्वारा थाना को0कर्नलगंज को सूचना दी गई कि दिनांक 10/11.09.2024 की देर रात्रि वह परिवारीजनों के साथ घर के बाहर सो रहे थे कि घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ आहट होने पर टार्च की रोशनी में देखा तीन अज्ञात चोर खड़े है जिनमें से एक व्यक्ति ने फायर कर दिया जो उसके भाई को लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा चोर मौके से फरार हो गये। । उक्त सूचना पर थाना को0 कर्नलगंज पर मु0अ0सं0-411/2024, धारा 331(8) बीएनएस बनाम 03 व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के शीघ्र अनावरण करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा एसओजी/सर्विलांस टीम सहित 04 टीमों का गठन कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्नलगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। घटना के सफल अनावरण के क्रम में नरायणपुर माझा मोड़ से नरायणपुर मांझा क्रासिंग के बीच संदिग्ध आरोपियों को घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी 01. बच्चन ( मुठभेड़ में घायल) व 02. राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा घायल अभियुक्त बच्चन को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी **के 20,000/- रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल पल्सर, 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद फायर शुदा कारतूस .12 बोर** बरामद किया गया।

**पूछताछ का विवरणः-**

अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाकर चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं। अभियुक्तों द्वारा बताया गया की दिनांक 10/11.09.2024 की रात्रि थाना कर्नलगंज के गाँव छोटीपुरवा मौजा परसागोण्डरी में एकान्त में बने घर में चोरी करने के नीयत दरवाजा खोलने के प्रयास कर रहे थे की तभी घर के व्यक्तियों द्वारा उन्हे देख लिया गया अपने आप को घिरता देख बच्चन ने इसी तमंचे से उन लोगो पर फायर कर दिया और तीनों लोग फरार हो गये थे। बरामद शुदा रूपये के बारे में बताया कि करीब 02 माह पूर्व मिश्रनपुरवा व बमडेरा के दो घरों में तीनों ने मिलकर रूपये व जेवरात की चोरी की थी । चोरी के जेवरात को राह चलते व्यक्तियों को औने- पौने दामों पर बेच दिया था।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. बच्चन पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम बौनापुर लोनियनपुरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
02. राजेश पुत्र मनोहर निवासी ग्राम पहाडापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।।

**अनावरित अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-411/2024, धारा 331(8) बीएनएस थाना को0 करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0स0- 295/2024, धारा 331(4), 305(A) बीएनएस थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0 423/2024, धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

**01.** चोरी **के 20,000/- रूपये**

02. **घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल पल्सर UP43BC7548,**

**03. 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद फायर शुदा कारतूस .12 बोर**

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. एस0ओ0जी0 प्रभारी शादाब आलम मय टीम

02. प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

03. उ0नि0 नागेश्वर पटेल

04. उ0नि0 सरफराज खाँ

05. उ0नि0 अंकित सिंह

06. हे0का0 संजय सिंह

07. हे0का0 विजय कुमार

08. हे0का0 अख्तर अली

09. का0 ऋषिकेश

010. का0 प्रदीप कुमार

**अपराधिक इतिहास**

**01. आपराधिक इतिहास बच्चन पुत्र गंगाराम ।**

01. मु0अ0स0- 88/2004 धारा 401 भादवि थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0स0- 106/2008 धारा 110 जी सीआरपीसी0 भादवि थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

03. मु0अ0स0- 203/2008 धारा 323, 325, 427,504,506 भादवि थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

04. मु0अ0स0- 499/2023 धारा 323, 325, 504,506 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

**03. आपराधिक इतिहास राजेश पुत्र मनोहर ।**

01. मु0अ0स0- 286/2012 धारा 307, 401 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0स0- 283/2012 धारा 459, 411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

03. मु0अ0स0- 153/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

04. मु0अ0स0- 191/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

05. मु0अ0स0- 337/2022 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**